# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

राजस्व दरख्वास्त संख्या : 141/2011

| सायलान :- | बनाम | गैरसायलान :- |
|---|---|---|
| 1. हगराम पुत्र भैराराम<br>2. रकाराम पुत्र भैराराम<br>3. सुरेश पुत्र भैराराम<br>नाबालिग जरिये कुदरती<br>वलीया माता कमलीदेवी<br>4. कमलादेवी पत्नी भैराराम<br>जातियान–मेघवाल(भांबी),<br>निवासीगण–लितरीया<br>तहसील–जैतारण, जिला–पाली | | 1. ओमप्रकाश पुत्र भैराराम<br>जाति–भांबी, निवासी–लितरीया<br>2. नारायणलाल पुत्र पन्नालाल<br>जाति–सरगरा,निवासी–लाखोटिया<br>चौक, जैतारण तहसील–जैतारण<br>3. तहसीलदार, जैतारण<br>तहसील–जैतारण, जिला–पाली<br>4. खनिज अभियन्ता खान एंव<br>भू–विज्ञान अभियन्ता<br>सोजतसिटी, जिला–पाली(राज.) |

**राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 व 151 सीपीसी**

तारीख रजू:.25.08.2011

उपस्थितः– 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, सायलान।
2. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, गै0सा0।

दिनॉकः– 01/07/2015

## –:: निर्णय ::–

वकील मय सायलान ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सायलान एवं गैरसायलान संख्या एक की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन राजस्व मौजा–लितरीया, पटवार हल्का–काणेचा, तहसील–जैतारण में खसरा नम्बर 128 रकबा 13–10 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 156 रकबा 08–02 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 232 रकबा 07–12 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 299 रकबा 10–00 बीघा किस्म चाही–चारम, खसरा नम्बर 302 रकबा 11–17 बीघा किस्म चाही–चारम, खसरा नम्बर 304 रकबा 15–10 बीघा किस्म चाही–चारम, 307 रकबा 11–06 बीघा किस्म चाही–चारम, खसरा नम्बर 308/2 रकबा 25–05 बीघा किस्म चाही–चारम, कुल किता–8 कुल रकबा 103–02 बीघा की आई हुई हैं। उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान की आराजी सायलान व गैरसायलान संख्या एक की पैतृक व पुश्तैनी थी एवं सम्पूर्ण आराजी पैतृक व पुश्तैनी थी। स्वर्गीय भैराराम का स्वर्गवास होने पर सायलान प्रत्येक को इस आराजी में 1/5वां हिस्सा मिला था। इसी माफिक गैरसायलान संख्या एक का भी इस आराजी में 1/5वां हिस्सा था। इस भूमि को प्रार्थना पत्र में आगे विवादित भूमि के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा। नकल चालु जमाबन्दी व नक्शा ट्रेश प्रार्थना पत्र के साथ पेश की है। सायलान व गैरसायलान संख्या एक ने अपने हक हिस्से की आराजी में से संयुक्त रूप से सभी सहहिस्सेदारों की आपसी सहमति से खसरा नम्बर 302 में से रकबा 7 बीघा, खसरा नम्बर 299 में से रकबा 3 बीघा भूमि

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख 2 के महावीर सानेल को बेचान की थी व इसी आधार पर महावीर सोनेल को मौके पर भी अलग से सौंप दी गई है। लेकिन राजस्व रेकर्ड में खाता अभी शामलाती होने से महावीर सोनेल को भी इस प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया गया है। महावीर सोनेल को बेचान की गई उक्त आराजी के अलावा सम्पूर्ण आराजी सायलान व गैरसायलान संख्या एक की संयुक्त व शामलाती है। जिसका न तो मौके पर किसी प्रकार का कोई बंटवाड़ा हुआ हैं न ही राजस्व रेकर्ड में कही पर बंटवाड़ा दर्ज है। विवादित भूमि सायलान व गेरसायलान संख्या एक की संयुक्त व शामलाती है, जिसका अभी तक बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के कोई बंटवाड़ा नही हुआ है। उक्त विवादित भूमि की वर्तमान में कीमतें बढ गई है। इस भूमि के अन्दर खसरा नम्बर 302/1 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा खसरा नम्बर 299 रकबा 7 बीघा व खसरा नम्बर 304 रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा की भूमि में एक तरफ भूगर्भ में चाईना क्ले आया हुआ है। तब इसी वजह से आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा कराये बिना ही गैरसायलान संख्या एक गैरसायलान संख्या 2 के बहकावे में आ गया है एवं गैरसायलान संख्या दो ने गैरसायलान एक को पिछले लगभग 15 दिनों से शराब पिलाकर के व नशीली गोलियां आदि खिलाकर के अपने प्रभाव में ले रखा हैं एवं गैरसायलान संख्या एक को सायलान से अलग रखते हुये सायलान को बिना बताये बाले-बाले इन उपर वर्णित खसरा नम्बरान का बेचान हस्तान्तरण अपने नाम करवाकर उसके बाद इस आराजी में से चाईना क्ले का खनन करवाने की मंशा से दिनांक 19/08/2011 को इस उपर वर्णित खसरा नम्बरान 302/1, 299, 304 में से गैरसायलान संख्या एक के द्वारा उसके हक हिस्से की भूमि गैरसायलान संख्या दो ने अपने नाम बेचान करवा ली है। एंव अब इस आराजी में से गैरसायलान संख्या दो चाईना क्ले का अवैध खनन करवाने को अमादा है। उक्त भूमि संयुक्त व शामलाती होने से गैरसायलान संख्या एक व दो बिना बंटवाडा कराये ही इन उपर वर्णित खसरा नम्बरान की जमीन में से चाईना क्ले वाला विशिष्ट भूभाग अपने कब्जे में लेकर चाईना क्ले का खनन करवाना चाह रहे है। गैरसायलान संख्या दो द्वारा उक्त आराजी खरीद करने के बाद बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा कराने के बाद ही इस आराजी पर से खनन करने व बंटवाडा कराने हेतु सायलान द्वारा कहने के बावजूद भी गैरसायलान अपने हक हिस्से की आराजी बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाडा कराने का वैधानिक रूप से अधिकारी होने से यह प्रार्थना पत्र बाबत बंटवाडा का विरूद्ध गैरसायलान के पेश किया है। विधि का भी यह सुस्थापित सिद्धान्त हैं कि किसी भी अजनबी केता को संयुक्त व शामलाति सम्पति का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाडा करवाये बिना विशिष्ट भू-भाग पर कब्जा करने एवं उस पर किसी प्रकार की कोई खनन या अन्य रूप की कार्यवाही करने का कोई वैधानिक अधिकार भी प्राप्त नही है। अभी तक इस आराजी के राजस्व रेकर्ड में माफिक बेचान के कोई अमल दरामद व म्युटेशन की कार्यवाही भी नही हुई है। उक्त म्युटेशन की कार्यवाही किये जाने से पूर्व ही गेरसायलान संख्या चार भी अपने यहां पर इस विवादित आराजी पर चाईना क्ले की लीज अवैध रूप से गैरसायलान संख्या दो के हक में जारी करने को आमदा है। जबकि आराजी का बंटवाडा होने तक न तो इस संयुक्त व शामलाति भूमि पर कोई खनन किया जा सकता हैं, न ही अजनबी केता आराजी में प्रवेश ही कर सकता है। फिर भी गैरसायलान संख्या एक दो व पांच

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

अवैधानिक कृत्य करने को अमादा है। जिन्हें इस विवादित आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा किये जाने तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाना आवश्यक है। विवादित भूमि सायलान व गैरसायलान संख्या एक की संयुक्त व शामलाती है। जिसका बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के कोई बंटवाडा नही हुआ है। गैरसायलान संख्या 1 व2 बदमाश प्रवृति के व्यक्ति है। जो इस कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ काम में लेने हेतु मौके पर बिना बंटवाडा करवाये हीखनन कार्य करवाने को अमादा है। तथा इस भूमि के विशिष्ट भू-भाग को अजनबी व्यक्तियों को खनन कार्य हेतु सौंप भी रहे है। साथ ही सायलान को उनके हक हिस्से की भूमि में काश्त करने व काश्त मुतालिक कार्य करवाने में बाधा व अड़चन भी पैदा कर रहे है। गैरसयलान संख्या दो इस आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा किये बिना ही सायलान के हक हिस्से की भूमि भी स्वयं ही दबा कर अपना कब्जा करना चाह रहा हैं। सायलान के कानून को मानने वाले शांत प्रवृति के व्यक्ति है, जिनके कब्जे काश्त में गैरसायलान संख्या दो जबरदस्ती बाधा व अड़चन पैदा कर रहे है। दिनांक 23/08/2011 को गैरसायलान संख्या दो सायलान संख्या दो सायलान को एलानिया धमकी दी कि उसने ओमप्रकाश का हिस्सा खरीद कर लिया हैं एवं अब चाईना क्ले वाली सम्पूर्ण जमीन पर वह अपना कब्जा कर लूंगा। अगर गैरसायलान संख्या दो ऐसा दुष्कृत्य करने में सफल हुआ तो सायलान जो कि गरीब काश्तकार हैं, जो अपनी भूमि में हमेशा-हमेशा के लिये अपना काश्त का कार्य करने से वंचित हो जायेंगे तथा गैरसायलान संख्या दो इस आराजी में खड्डे आदि भी खुदवा देगा तब सायलान को असीम क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नही हो सकेगी। सायलान गैरसायलान के ऐसे अवैध कृत्यों का विरोध करेगें जिससे विवाद बढेगा व मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी, तब ऐसी विषम परिस्थितियों में सायलान के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध गैरसायलान के पेश किया है। समस्त तथ्यों परिस्थितियों व दस्तावेजात के आधार पर एवं मौके पर कब्जा व काश्त के आधार पर प्रथम दृष्टिया मामला सायलान के पक्ष में बखूबी प्रमाणित है। यदि गैरसायलान ने जबरदस्ती सायलान को उनके हक हिस्से की आराजी से बेदखल कर दिया, तो सायलान को उनके हक हिस्से की आराजी से बेदखल कर दिया, तो सायलान को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नही हो सकेगी। इसलिये सुविधा का संतुलन भी बखूबी सायलान के पक्ष में प्रमाणित हैं।

सायलान का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गै0सा0 को वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-काणेचा में पेश हुई। गै0सा0 संख्या 1 को जरिये नोटिसेज रजिस्टर्ड ए0डी0 से तलब किया गया। बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। दिगर गै0सा0 जबाब पेश करने का समय दिया गया। बार-बार समय दिये जाने के बावजूद जबाब पेश नहीं करने से जबाब बन्द किया जाता हैं। सायलान के कब्जे काश्त में गै0सा0 दखलन्दाजी करते हैं। सायलान के पक्ष में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 25/08/2011 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हो चुकी हैं। सायलान की भूमि में दखलन्दाजी करने, बेचान, रहन अन्य हस्तान्तरण करने से गै0सा0 को अस्थाई निषेधाज्ञा रोका जाना उचित समझते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

# –:: आदेश ::–

अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं कि राजस्व मौजा–लितरीया, पटवार हल्का–काणेचा, तहसील–जैतारण में खसरा नम्बर 128 रकबा 13–10 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 156 रकबा 08–02 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 232 रकबा 07–12 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 299 रकबा 10–00 बीघा किस्म चाही–चारम, खसरा नम्बर 302 रकबा 11–17 बीघा किस्म चाही–चारम, खसरा नम्बर 304 रकबा 15–10 बीधा किस्म चाही–चारम, 307 रकबा 11–06 बीघा किस्म चाही–चारम, खसरा नम्बर 308/2 रकबा 25–05 बीघा किस्म चाही–चारम, कुल किता–8 कुल रकबा 103–02 बीघा सायलान की भूमि में दखलन्दाजी करने, बेचान, रहन अन्य हस्तान्तरण करने से गै0सा0 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश दिनांक 25/08/2011 को वाद निर्णय तक पुख्ता किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 01/07/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–काणेचा पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Scanned by CamScanner